

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 24/3/26

विषय:- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल  
₹ 61,21,425/- (इकसठ लाख इक्कीस हजार चार सौ पच्चीस रुपये) मात्र के व्यय की  
स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन  
अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में  
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 61,21,425/-  
(इकसठ लाख इक्कीस हजार चार सौ पच्चीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में  
प्रदान की जाती है:-

क्र.	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0 डी0	कार्य/योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, समस्तीपुर	30534	Construction of 4 Class Room Madarsa Building in the Campus Madarsa Islamia Shahpur Baghauni Tajpur Distt-Samastipur.	449/ 25.11.2024	61,21,425/- (इकसठ लाख इक्कीस हजार चार सौ पच्चीस रुपये)

2 उक्त कार्य पर राशि का व्यय शीर्ष मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-04-अल्पसंख्यकों के कल्याण, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0104-बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना विपत्र कोड-03-4225040510104 के विषय शीर्ष-53-मुख्य कार्य-0104.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जायेगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर होंगे।

4. इस राशि के निकासी जिला कोषागार, समस्तीपुर से की जायेगी।

5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 2912(28) पटना, दिनांक- 24/3/26

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।